रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72

REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 394] नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 3, 1976/अग्रहायण 12, 1898

No. 394] NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 3, 1976/AGRAHAYANA 12, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह असग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd December, 1976

G.S.R. 907(E).—In exercise of the powers conferred by section 8 of the Pondicherry (Administration) Act, 1962 (49 of 1962), the Central Government hereby extends to the Union territory of Pondicherry, the Tamil Nadu Debt Relief Act, 1976 (President's Act 31 of 1976), as in force in the State of Tamil Nadu at the date of this notification, subject to the following modifications, namely:—

Modifications

1. Throughout the Act, unless otherwise directed, for the words "State Government" and *"Tamil Nadu Government Gazette"*, Wherever they occur, the words "Administrator" and *"Pondicherry Gazette"* shall respectively be substituted.

2. In section 1, in sub-section (2), for the words "State of Tamil Nadu", the words "Union territory of Pondicherry" shall be substituted.

3. In section 3,—

(i) clause (a) shall be relettered as clause (aa) and, before the clause as to re-lettered, the following clause shall be inserted, namely:—

(a) "Administrator" means the Administrator of the Union territory of Pondicherry appointed by the President under article 239 of the Constitution;";

(ii) in clause (e), the words "State Government" shall stand unmodified;

(iii) in clause (k), in the *Explanation* for the words "City of Madras or the City of Madurai or the area comprised in a municipal town or a township constituted under any law for the time being in force", the words and figures "area comprised in a municipality or township declared under the Pondicherry Municipalities Act, 1973 (Pondicherry Act, 9 of 1973)", shall be substituted;

(iv) in clause (1),—

(a) for the words "partly in another,—", the words "partly in another, not more than one unit of land" shall be substituted;

(b) sub-clauses (i) and (ii) and *Explanation I* shall be omitted.

4. In section 4, for the words, figures and brackets "Tamil Nadu Agriculturists Relief Act, 1938, the Tamil Nadu Pawn Brokers Act, 1943, the Tamil Nadu money-lenders Act, 1957, the Tamil Nadu Debt Relief Act, 1972, the Tamil Nadu Indebted Agriculturists (Temporary Relief) Act, 1976, the Tamil Nadu Indebted Persons (Temporary Relief) Act, 1976" the words and figures "Madras Pawnbrokers Act, 1943 (Madras Act 23 of 1943), as extended to the Union territory of Pondicherry by the Pondicherry Pawnbrokers Act, 1966 (Pondicherry Act 11 of 1966), the Pondicherry Money-Lenders' Act, 1970 (Pondicherry Act 26 of 1970), the Union territories Relief of Agricultural Indebtedness Regulation, 1976 (1 of 1976)", shall be substituted.

5. In section 5, in sub-section (8), for the words and figures "Tamil Nadu Pawnbrokers Act, 1943", the words and figures "Madras Pawnbrokers Act, 1943 (Madras Act 23 of 1943), as extended to the Union territory of Pondicherry by the Pondicherry Pawnbrokers Act, 1966 (Pondicherry Act 11 of 1966)", shall be substituted.

6. In section 13,—

(i) in sub-clause (i) of clause (f), and in sub-clause (iii) of clause (g), the words "State Government" shall stand unmodified;

(ii) in sub-clause (v) of clause (g), for the words and figures "Tamil Nadu Co-operative Societies Act, 1961", the words and figures "Pondicherry Co-operative Societies Act 1972 (Pondicherry Act 7 of 1973)", shall be substituted.

7. In section 14, in sub-section (3) for the words "both Houses of the Legislature and if, before the expiry of the session in which it is so placed or the next session both, Houses agree in making any modification in any such rule or both Houses agree", the words "the Legislative Assembly of Pondicherry and if, before the expiry of the session in which it is so placed or the next session, the Assembly makes any modification in any rule or directs" shall be substituted.

ANNEXURE

THE TAMIL NADU DEBT RELIEF ACT, 1976 (PRESIDENT'S ACT 31 OF 1976), AS EXTENDED TO THE UNION TERRITORY OF PONDICHERRY

Enacted by the President in the Twenty-seventh Year of the Republic of India.

An Act to privide relief from indebtedness to landless agricultural labourers, rural artisans and small farmers in the State of Tamil Nadu.

In exercise of the powers conferred by section 3 of the Tamil Nadu State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1976 (41 of 1976), the President is pleased to enact as follows:—

1. *Short title, extent and commencement.*—(1) This Act may be called the Tamil Nadu Debt Relief Act, 1976.

(2) It extends to the whole of the Union territory of Pondicherry.

(3) It shall come into force at once.

2. *Declaration.*—It is hereby declared that this Act is for giving effect to the policy of the State towards securing the principles specified in articles 46 of the Constitution.

3. *Definitions.*—In this Act, unless the context otherwise requires,—

(a) 'Administrator' means the Administrator of the Union territory of Pondicherry appointed by the President under article 239 of the Constitution,

(aa) 'agriculture' includes,—

(i) horticulture;

(ii) the raising of crops (including plantation crops), grass or garden produce;

(iii) dairy farming;

(iv) poultry farming;

(v) breeding of livestock;

(vi) grazing;

but does not include the cutting of wood only;

(b) 'agricultural land' means land used for purposes of agriculture;

(c) 'annual household income' means the aggregate of the annual income from all sources of all the members of a family;

(d) 'creditor' means a person from or in respect of whom the debtor has borrowed or incurred a debt and includes the heirs of such person;

(e) 'debt' means any liability in cash or in kind, whether secured or unsecured and whether decreed or not, but does not include arrears of taxes due to the Central Government or a State Government or a local authority;

(f) 'debtor' means—

(i) a landless agricultural labourer; or

(ii) a rural artisan; or

(iii) a small farmer,

who has borrowed or incurred any debt before the commencement of this Act;

(g) 'family', in relation to a person, means the individual, the wife or husband, as the case may be, of such individual and their unmarried minor children.

Explanation.—For the purpose of this clause, "minor" means a person who has not completed his or her age eighteen years;

(h) 'interest' means any amount or other thing paid or payable in excess of the principal sum borrowed or pecuniary obligation incurred, or where anything has been borrowed in kind, in excess of what has been so borrowed, by whatsoever name such amount or thing may be called, and whether the same is paid or payable entirely in cash or entirely in kind or partly in cash and partly in kind and whether the same is expressly mentioned or not in the document or contract, if any;

(i) 'landless agricultural labourer' means as person who does not hold, whether as owner, tenant or mortgagee with possession, or partly in one capacity and partly in another, any agricultural land and whose principal means of livelihood is manual labour on agricultural land and whose annual household income does not exceed two thousand and four hundred rupees;

(j) 'person' means an individual or a family;

(k) 'rural artisan' means a person who does not hold, whether as owner, tenant or mortgagee with possession, or partly in one capacity and partly in another, any agricultural land and whose annual household income does not exceed two thousand and four hundred rupees and—

(i) whose principal means of livelihood is production or repair of traditional tools, implements and other articles or things used for agriculture or purposes ancillary thereto, or

(ii) who normally earns his livelihood by practising any craft either by his own labour or by the labour of the members of his family in any rural area.

Explanation.—For the purpose of sub-clause (ii) of this clause, "rural area" means any area not being the area comprised in a municipality or township declared under the Pondicherry Municipalities Act, 1973 (Pondicherry Act 9 of 1972);

(l) 'small farmer' means a persons whose principal means of livelihood is income derived from agricultural land and who holds, whether as owner, tenant, or mortgagee with possession, or partly in one capacity and partly in another not more than one unit of land.

Explanation II.—Where any person holds as aforesaid more than one category of land referred to in clause (o), then, for the purpose of calculating the extent of land held by him, two hectares of unirrigated land shall be deemed to be equal to—

(i) half hectare of land having facilities for growing one irrigated crop;

(ii) half hectare of land used for growing any plantation crop or grapes or coconut or arecanut or mulberry;

(iii) quarter hectare of land having perennial irrigation facilities, or having facilities for growing more than one irrigated crop in a year.

Explanation III.—In this clause and in clause (o),—

(a) "irrigated" means irrigated from any source, whether Government or private;

(b) "plantation crop" means cardomom, cinchona, coffee, rubber or tea;

(m) 'Tahsildar' includes a Deputy Tahsildar in independent charge of a taluk or sub-taluk and any other officer of the Revenue Department not below the rank of a Deputy Tahsildar empowered by the Administrator to exercise the powers and perform the functions of a Tahsildar under this Act;

(n) 'transferee of the creditor' means any persons [including an institution referred to in clause (g) of section 13] to whom—

(i) the creditor has pledged the movable property pledged to him by the debtor and includes any subsequent transferee to whom such transferee has pledged such movable property and also includes any person in possession of the property pledged; or

(ii) the creditor has transferred or otherwise assigned his interest in the property mortgaged by the debtor and includes any subsequent transferee to whom such transferee has transferred or otherwise assigned his interest in the property mortgaged and also includes any person in possession of the property mortgaged;

(o) 'unit of land' means—

(i) two hectares of unirrigated land; or

(ii) half hectare of land having facilities for growing one irrigated crop; or

(iii) half hectare of land used for growing any plantation crop or grapes or coconut or arecanut or mulberry; or

(iv) quarter hectare of land having perennial irrigation facilities, or having facilities for growing more than one irrigated crop in a year.

4. *Relief from Indebtedness.*—Notwithstanding anything contained in the Madras Pawnbrokers Act, 1943 (Madras Act. 23 of 1943), as extended to the Union territory of Pondicherry by the Pondicherry Pawnbrokers Act, 1966 (Pondicherry Act 11 of 1966), the Pondicherry Money-Lender's Act, 1970 (Pondicherry Act 26 of 1970), the Union Territories Relief of Agricultural Indebtedness Regulation, 1976 (1 of 1976), or in any other law for the time being in force or in any contract or instrument having force by virtue of any such law and save as otherwise expressly provided in this Act, with effect on and from the commencement of this Act,—

(a) every debt advanced or incurred before the commencement of this Act (including interest, if any,) and payable by the debtor to the creditor shall be deemed to be wholly discharged;

(b) no Civil Court shall entertain any suit or other proceeding against the debtor for the recovery of any amount of such debt (including interest, if any).

Provided that where any suit or other proceeding is instituted jointly against the debtor and any other person, nothing in this section shall apply to the maintainability of such suit or proceeding in so far at it relates to such other person;

(c) all suits and other proceedings (including appeals, revisions, attachments or execution proceedings) pending at the commencement of this Act against any debtor for the recovery of any such debt (including interest, if any,) shall abate:

Provided that nothing in this clause shall apply to the sale, in respect of any such debt, of—

(i) any movable property held and concluded before the commencement of this Act;

(ii) any immovable property confirmed before such commencement;

(d) every debtor undergoing detention in a civil prison in execution of any decree for money passed against him by a Civil Court in respect of any such debt (including interest, if any,) shall be released;

(e) every movable property pledged by a debtor shall stand released in favour of such debtor and the creditor shall be bound to return the same to the debtor forthwith;

(f) every mortgage executed by the debtor in favour of the creditor shall stand redeemed and the mortgaged property shall be released in favour of such debtor.

Explanation.—Nothing in this section shall be constructed as entitling any debtor for refund of any part of any debt repaid or interest paid already by him or recovered from him before the commencement of this Act.

5.*Creditors to file statement, etc.*—(1) Every creditor referred to in clause (e) of section 4 shall, within such period as may be prescribed, furnish to the Tahsildar having jurisdiction over the area where such creditor has his ordinary place of business, a statement in such form as may be prescribed containing the names of all the persons who have pledged movable property with him, the nature and description of such property, the amount advanced and due as on the commencement of this Act, the rate of interest and such other particulars as may be prescribed

(2) A debtor referred to in clause (e) of section 4 may also make an application to the Tahsildar having jurisdiction over the area where his creditor has his ordinary place of business for an order for the return of the movable property pledged by the debtor.

(3) On receipt of a statement under sub-section (1) or an application under sub-section (2), and after such inquiry conducted in the manner prescribed, the Tahsildar shall, by order, determine—

(i) where a statement has been furnished by the creditor under sub-section (1), which of the persons who have pledged movable property with him are entitled to relief under section 4; and

(ii) where an application has been made by the debtor under sub-section (2), whether the debtor is entitled to relief under section 4, and direct the creditor to produce on or before the date specified in the order the movable property pledged by such persons or debtor

(4) where the movable property pledged by the debtor is in the possession of any transferee of the creditor, the creditor shall redeem the said property from such transferee and produce it on or before the date specified in the order referred to in sub-section (3).

(5) If the creditors fails to produce the movable property as directed in the order under sub-section (3),—

(a) the Tahsildar may enter any premises of the creditor or of the transferee of the creditor (other than an institution referred to in clause (g) of section 13) and search and seize the said property; and

(b) where the movable property is in the possession of any of the institutions referred to in clause (g) of section 13, the Tahsildar shall,—

(i) by an order, direct the said institution to deposit, on or before the date specified in the order, the movable property with the Tahsildar together with a statement specifying the amount due to the said institution in respect of the said property and simultaneously issue a certificate to the said institution to the effect that the amount due to the said institution in respect of the said property shall be recovered from the creditor as if it were an arrear of land revenue and paid to the said institution; and

(ii) on the said institution depositing the said property with the Tahsildar, acknowledge in writing the receipt of the movable property and proceed to recover from the creditor such amount as is due to the said institution in respect of the said property as if it were an arrear of land revenue, and on such recovery pay the same to the said institution.

(6) After such production or recovery or deposit of the movable property pledged, the Tahsildar shall deliver the said property to the debtor.

(7) Pending determination of the question under sub-section (3), no creditor or the transferee of the creditor shall sell or pledge or otherwise dispose of any movable property pledged by the debtor.

(8) Notwithstanding anything contained in sub-section (5) or in the Madras Pawnbrokers Act, 1943 (Madras Act 23 of 1943), as extended to the Union territory of Pondicherry by the Pondicherry Pawnbrokers Act, 1966 (Pondicherry Act 11 of 1966), the Tahsildar—

(a) may enter any premises of the creditor of the transferee of the creditor (other than an institution referred to in clause (g) of section 13) and search and seize the movable properties pledged by debtors and arrange for their safe custody;

(b) shall proceed to determine which of the movable properties so seized are to be released to the debtors and pass orders accordingly.

(9) The provisions of sections 100 and 165 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), relating to search and seizure shall, so far as may be, apply to searches and seizures under sub-sections (5) and (8).

6. *Debtors to apply in certain cases.*—(1) A debtor referred to in clause (f) of section 4 may make an application to the Tahsildar having jurisdiction over the area within which such debtor ordinarily resides, for an order releasing the mortgaged property and for the grant of a certificate of redemption.

(2) (a) On receipt of such application and after such enquiry conducted in the manner prescribed, the Tahsildar shall pass an order releasing the mortgaged property and grant a certificate of redemption in the prescribed form which shall be admissible as evidence of such redemption in any proceeding before any court or other authority;

(b) the Tahsildar shall also direct the creditor or the transferee of the creditor—

(i) to deliver possession of the mortgaged property to the debtor on or before the date specified in the order, if the debtor is not already in possession of the mortgaged property; and

(ii) to produce on or before the date specified in the order, the mortgage deed or other document and the Tahsildar shall make an endorsement of redemption on the mortgage deed or other document.

(3) Pending orders under sub-section (2), no creditor or the transferee of the creditor shall transfer or otherwise assign his interest in, or exercise his right of foreclosure in respect of the property mortgaged by the debtor.

(4) Where the mortgaged property has been transferred or any right therein has been assigned to any of the institutions referred to in clause (g) of section 13 by the creditor, the Tahsildar shall recover from the creditor such amount as is due to such institution in respect of the said mortgaged property, as if it were an arrear of land revenue, and shall pay the same to the said institution.

7. *Finality of orders passed under this Act.*—Every order of the Tahsildar under section 5 or section 6 shall, subject to appeal under section 8, be final and shall not be called in question in any court.

8. *Appeal.*—(1) Any person aggrieved by an order made by the Tahsildar under this Act may, within such period and in such manner as may be prescribed, appeal to such authority as may be specified by the Administrator in this behalf.

(2) In deciding the appeal, the authority specified under sub-section (1) shall follow such procedure as may be prescribed and the decision of such authority on such appeal shall be final and shall not be called in question in any court.

9. *Legal practitioner not to appear.*—No party to any proceeding under this Act shall be entitled to be represented by a legal practitioner.

Explanation.—In this section, "legal practitioner" shall have the meaning assigned to it in section 2 of the Advocates Act, 1961 (25 of 1961).

10. *Penalty.*—(1) Any person failing to furnish the statement under section 5 or to comply with the order made or direction given under section 5 or section 6 or otherwise contravening the provisions of either of the said sections shall be liable to imprisonment for a term which shall not be less than three months but which may extend to one year and with fine which shall not be less than one thousand rupees but which may extend to five thousand rupees.

(2) Every offence punishable under sub-section (1) shall be cognisable.

(3) Every offence punishable under sub-section (1) shall be tried in a summary way and the provisions of sections 262 to 265 (both inclusive) of the Code of Criminal Procedure, 1973 (2 of 1974), shall, as far as may be, apply to such trial.

11. *Offences by companies.*—(1) Where an offence under this Act has been committed by a company every person who, at the time the offence was committed was in charge of, and was responsible to, the company for the conduct of the business of the company as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub section (1), where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of, or is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary, orother officer of the company, such director, manager, secretary or other of the company, shall also be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation.— For the purpose of this section,—

(a) "company" means any body corporate and includes a firm or other association of individuals; and

(b) "director", in relation to a firm, means a partner in the firm.

12. *Burden of proof.*—In any suit of proceeding, the burden of proving that the debtor is not entitled to the protection of this Act, shall, notwithstanding anything contained in any law for time being in force, lie on the creditor.

13.*Certain debts and liabilities not to be affected.*— Nothing in this Act shall apply to the following categories of debts and liabilities of landless agricultural labourers, rural artisans and small farmers, namely:—

(a) any rent due in respect of any property including agricultural land let out to a debtor;

(b) any amount recoverable as arrears of land revenue;

(c) any liability arising out of breach of trust or any tortious liability;

(d) any liability in respect of wages or remuneration due as salary or otherwise for services rendered;

(e) any liability in respect of maintenance whether under a decree of a court or otherwise;

(f) a debt due to—

(i) the Central Government or any State Government;

(ii) any local authority;

(g) save as otherwise provided in this Act, any liability in respect of any sum due to—

(i) (A) any banking company to which the Banking Regulation Act, 1949 (10 of 1949), applies;

(B) the State Bank of India constituted under the State Bank of India Act, 1955 (23 of 1955);

(C) any subsidiary bank as defined in clause (k) of section 2 of the State Bank of India (Subsidiary Banks) Act, 1959 (38 of 1959);

(D) any corresponding new bank as defined in clause (d) of section 2 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970);

(E) the Agricultural Refinance and Development Corporation, established under the Agricultural Refinance and Development Corporation Act, 1963 (10 of 1963);

(F) any other financial institution notified in this behalf by the Administrator in the Pondicherry Gazette;

(ii) any Government company within the meaning of the Companies Act, 1956 (1 of 1956);

(iii) any corporation owned or controlled by the Central Government or any State Government;

(iv) the Life Insurance Corporation of India;

(v) any Co-operative Society including a land development bank, registered or deemed to be registered under the Pondicherry Co-operative Societies Act, 1972 (Pondicherry Act 7 of 1973); and

(h) any debt which represents the price of property whether movable or immovable purchased by a debtor or any amount due under a hire purchase agreement.

14. *Power to make rules.*—(1) The Administrator may make rules to carry out the purposes of this Act.

(2) All rules made under this Act shall be published in the Pondicherry Gazette, and unless they are expressed to come into force on a particular day shall come into force on the date on which they are so published.

(3) Every rule made under this Act shall, as soon as possible, after it is made, be placed on the Table of the Legislative Assembly of Pondicherry and if, before the expiry of the session in which it is so placed or the next session, the Assembly makes any modification in any such rule or directs that the rules should not be made, the rule shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under that rule.

15. *Effect of other laws.*—Save as otherwise provided in this Act, the provisions of this Act shall be in addition to, and not in derogation of, any other law for the time being in force.

[No. U-11015/10/76-UTL(135)]

MAHESH PRASAD, Jt. Secy.

IndiaCode

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 दिसम्बर, 1976

सा० का० नि० 907 (ब)—पांडिचेरी (एडमिनिस्ट्रेशन) ऐक्ट, 1962 (1962 का 49) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, तमिलनाडु डैट रिलीफ ऐक्ट, 1976 (1976 का राष्ट्रपति अधिनियम, संख्या 31) को, जैसा कि वह इस अधिसूचना की तारीख को तमिलनाडु राज्य में प्रवृत है, पांडिचेरी राज्यक्षेत्र पर, निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए विस्तारित करती है, अर्थात् :—

उपांतरण

1. जब तक अन्यथा निदेश न दिया जाए, समस्त अधिनियम में, "राज्य सरकार" तथा "**तमिलनाडु सरकार का राजपत्र**" शब्दों के स्थान पर, जहां भी वे आए हैं, क्रमशः "प्रशासक" तथा "**पांडिचेरी राजपत्र**" शब्द रखे जाएंगे।

2. धारा 1 की उप-धारा (2) में "तमिलनाडु राज्य" शब्दों के स्थान पर "पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र" शब्द रखे जाएंगे।

3. धारा 3 में,—

(i) खण्ड (क) को खण्ड (कक) के रूप में पुनरांकित किया जाएगा तथा इस प्रकार पुनरांकित खण्ड से पूर्व निम्नलिखित खण्ड अंतः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

(क) 'प्रशासक' से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ;

(ii) खण्ड (ङ) में से "राज्य सरकार" शब्दों को उपांतरित नहीं किया जाएगा;

(iii) खण्ड (ट) में, स्पष्टीकरण में "मद्रास नगर या मदुराई नगर या ऐसा क्षेत्र नहीं है जो तत्समय प्रवृत किसी विधि के अधीन गठित नगरपालिका या नगर क्षेत्र में समाविष्ट है" शब्दों के स्थान पर "पांडिचेरी म्युनिसिपेलिटीज ऐक्ट, 1973 (1973 का पांडिचेरी अधिनियम सं० 9) के अधीन घोषित नगरपालिका में समाविष्ट है" शब्द और अंक रखे जायेंगे ;

(iv) खण्ड (ठ) में—

(क) "भागतः अन्य हैसियत में शब्दों के स्थान पर भागतः अन्य हैसियत में एक से अनधिक ईकाई भूमि धारण करता है" शब्द रखे जायेंगे ;

(ख) उपखण्ड (i) और (ii) तथा स्पष्टीकरण 1 का लोप किया जाएगा।

4. धारा 4 में "तमिलनाडु एग्रीकल्चरिस्ट रिलीफ ऐक्ट, 1938, तमिलनाडु पान ब्रोकर्स ऐक्ट, 1943, तमिलनाडु मनी लैन्डर्स ऐक्ट, 1957, तमिलनाडु डट रिलीफ ऐक्ट, 1972, तमिलनाडु इन्डेटेड एग्रीकल्चरिस्ट (टेम्पोरेरी रिलीफ) ऐक्ट, 1976, दि तमिलनाडु इन्डेटेड

परसंत (टम्पोरेरी रिलीफ) ऐक्ट, 1976" शब्दों, अंकों और कोष्ठकों के स्थान पर "पांडिचेरी पान बोकर्स ऐक्ट, 1966 (1966 का पांडिचेरी अधिनियम सं० 11), दि पांडिचेरी मनी लण्डर्स ऐक्ट 1970 (1970 का पांडिचेरी अधिनियम सं० 26), दि यूनियन टेरीटरीज रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इन्डेटेड रेग्यूलेशन, 1976 (1976 का 11) द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित मद्रास पान बोकर्स ऐक्ट, 1943" (1943 का मद्रास अधिनियम सं० 23) शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जायेंगे ।

5. धारा 5 की उपधारा (8) में "तमिलनाडु पान बोकर्स ऐक्ट, 1943" शब्दों और अंकों के स्थान पर "पांडिचेरी पान बोकर्स ऐक्ट, 1966 (1966 का पांडिचेरी अधिनियम सं० 11) द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित मद्रास पान बोकर्स ऐक्ट, 1943 (1943 का मद्रास अधिनियम सं० 23" शब्द, अंक और कोष्ठक रखे जायेंगे ।

6. धारा 13 में,—(i) खण्ड (च) के उपखण्ड (ii) में तथा खण्ड (छ) के उपखण्ड (iii) में "किसी राज्य सरकार" शब्दों को उपांतरित नहीं किया जाएगा;

(ii) खण्ड (छ) के उपखण्ड (v) में "तमिलनाडु कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1961" शब्दों और अंकों के स्थान पर "पांडिचेरी कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1972 (1973 का पांडिचेरी अधिनियम संख्या 7)" शब्द और अंक रखे जायेंगे ।

7. धारा 14 की उपधारा (3) में "विधान मंडल के दोनों सदनों के पटल पर रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जायें या दोनों सदन सहमत हो जायें" शब्दों के स्थान पर "पांडिचेरी की विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान-सभा ऐसे किसी नियम में कोई परिवर्तन करती है या निदेश करती है" शब्द रखे जायेंगे ।

उपाबंध

तमिलनाडु ऋण अनुतोष अधिनियम, 1976 (1976 का राष्ट्रपति अधिनियम सं० 31)

भारत गणराज्य के सताईसवें वर्ष में राष्ट्रपति द्वारा अधिनियमित ।

(29 जुलाई, 1976)

तमिलनाडु राज्य में भूमिहीन कृषि श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पियों और लघु कृषकों को ऋणिता से अनुतोष का उपबन्ध करने के लिए अधिनियम ।

तमिलनाडु राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम, 1976 (1976 का 41) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रपति निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित करते हैं :—

1. **संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ.**—(1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम तमिलनाडु ऋण अनुतोष अधिनियम, 1976 है।

(2) इसका विस्तार संपूर्ण पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर है।

(3) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।

2. **घोषणा.**—इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 46 में विनिर्दिष्ट सिद्धान्तों को सुनिश्चित करने की राज्य की नीति को कार्यान्वित करने के लिए है।

3. **परिभाषाएं.**—इस अधिनियम में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) "प्रशासक" से राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त किया गया पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र का प्रशासक अभिप्रेत है ;

(कक) "कृषि" के अन्तर्गत निम्नलिखित हैं :—

(i) उद्यान कृषि ;

(ii) फसलें (जिनके अन्तर्गत बागान फसलें भी हैं) घास या उद्यान उगाना ;

(iii) दुग्ध-उद्योग ;

(iv) कुक्कट पालन ;

(v) पशु-धन पालन ;

(vi) चराई ;

किन्तु इसके अन्तर्गत केवल लकड़ी काटना नहीं है ;

(ख) "कृषि भूमि" से वह भूमि अभिप्रेत है जिसे कृषि के प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जाता है ;

(ग) "वार्षिक गृहस्थी की आय" से किसी कुटुम्ब के सभी सदस्यों के सभी स्रोतों से कुल वार्षिक आय अभिप्रेत है ;

(घ) "लेनदार" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिससे या जिसकी बाबत ऋणी ने ऋण उधार लिया है या उपगत किया है और इसके अन्तर्गत ऐसे व्यक्ति का वारिस है ;

(ङ) "ऋण" से नकद या वस्तुरूप में कोई दायित्व अभिप्रेत है चाहे वह प्रतिभूत या अप्रतिभूत हो और चाहे डिक्रीत हो या न हो किन्तु इसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी को शोध्य करों की बकाया नहीं है;

(च) "ऋणी" से निम्नलिखित अभिप्रेत है ;

(i) भूमिहीन कृषि श्रमिक ; या

(ii) ग्रामीण शिल्पी ; या

(iii) लघु कृषक ;

जिसने इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व कोई ऋण उधार लिया है या उपगत किया है ;

(छ) किसी व्यक्ति के संबंध में "कुटुम्ब" से कोई व्यक्ति ऐसे व्यक्ति की, यथास्थिति, पत्नी या पति और उनकी अविवाहित अवयस्क संतान अभिप्रेत है।

स्पष्टीकरण:—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए "अवयस्क" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसने अपनी आयु के अट्ठारह वर्ष पूरे नहीं किए हैं।

(ज) "ब्याज" से ऐसी कोई रकम या अन्य वस्तु अभिप्रेत है जो उधार ली गई मूल राशि या उपगत धन संबंधी बाध्यता के आधिक्य में संदत्त या संदेय है अथवा वस्तु रूप में लिया गया उधार है जो उधार ली गई वस्तु के आधिक्य में है चाहे वह रकम या वस्तु किसी भी नाम से ज्ञात हो और चाहे वह पूर्णतः नकद या पूर्णतः वस्तु रूप में या भागतः नकद और भागतः वस्तु रूप से संदत्त या संदेय है चाहे उसका दस्तावेज या संविदा, यदि कोई हो, में कोई अभिव्यक्त रूप से वर्णन किया गया है या नहीं ;

(झ) "भूमिहीन कृषि श्रमिक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जो, चाहे स्वामी, अभिधारी या सकब्जा बन्धकदार के रूप में या भागतः एक हैसियत में और भागतः अन्य हैसियत में, कोई कृषि भूमि धारण नहीं करता है और जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि पर शारीरिक श्रम करना है और जिसकी वार्षिक गृहस्थी की आय दो हजार चार सौ रुपए से अधिक नहीं है ;

(ण) "व्यक्ति" से कोई व्यक्ति या कोई कुटुम्ब अभिप्रेत है ;

(ट) "ग्रामीण शिल्पी" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है, जो चाहे स्वामी, अभिधारी या सकब्जा बन्धकदार के रूप में या भागतः एक हैसियत में और भागतः अन्य हैसियत में कोई कृषि भूमि धारण नहीं करता है और जिसकी वार्षिक गृहस्थी की आय दो हजार चार सौ रुपए से अधिक नहीं हो, और—

(i) जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि या उससे आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाए जाने वाले पारम्परिक औजार, उपकरण और अन्य वस्तुओं या चीजों का उत्पादन या उनकी मरम्मत करना है ; या

(ii) जो किसी ग्रामीण क्षेत्र में या तो अपने स्वयं के श्रम द्वारा या अपने कुटुम्ब के सदस्यों के श्रम द्वारा कोई कारीगरी करके सामान्यतः अपनी जीविका उपार्जित करता है।

स्पष्टीकरण :—इस खण्ड के उपखण्ड (ii) के प्रयोजन के लिए "ग्रामीण क्षेत्र" से ऐसा कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जो पांडिचेरी म्युनिसपेलिटीज ऐक्ट, 1973 (1973 का पांडिचेरी सं० 9) के अधीन घोषित नगर पालिका में समाविष्ट है ;

(ठ) "लघु कृषक" से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसकी जीविका का मुख्य साधन कृषि भूमि से प्राप्त आय है और जो चाहे स्वामी, अभिधारी या सकब्जा बन्धकदार के रूप में या भागतः एक हैसियत में और भागतः अन्य हैसियत में—एक से अनधिक इकाई भूमि धारण करता है ;

स्पष्टीकरण 1 :—इस खण्ड के प्रयोजन के लिए अनुसूचित अदिमजातियों का वही अर्थ होगा जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खण्ड (25) में उसका है।

स्पष्टीकरण 2 :—जहां कोई व्यक्ति खण्ड (ण) में निर्दिष्ट एक कोटि से अधिक कोटि की भूमि धारण करता है वहां तक उसके द्वारा धारित भूमि के विस्तार का परिकलन करने के प्रयोजन के लिए दो हैक्टर असिंचित भूमि निम्नलिखित के बराबर समझी जाएगी :—

(i) आधा हैक्टर ऐसी भूमि जिसमें एक सिंचित फसल उगाने की सुविधाएं हैं ;

(ii) आधा हैक्टर ऐसी भूमि जिसे किसी बागान फसल या अंगूर या नारियल या सुपारी या शहतूत उगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है ;

(iii) चौथाई हैक्टर ऐसी भूमि जिसमें बारहमासी सिंचाई [की सुविधाएं हैं या वर्ष में एक सिंचित फसल से अधिक फसल उगाने की सुविधाएं हैं।

स्पष्टीकरण 3 :— इस खण्ड में और खण्ड (ण) में—

(क) "सिंचित" से किसी श्रोत से सिंचित अभिप्रेत है चाहे वह सरकारी है या निजी ;

(ख) "बागान फसल" से इलायची, सिनकोना, काफी, रबड़ या चाय अभिप्रेत है ;

(ङ) "तहसीलदार" के अन्तर्गत वह उपतहसीलदार जिसके स्वतंत्र भारसाधन में ताल्लुक या उपताल्लुक है और प्रशासक द्वारा सशक्त किया गया उपतहसीलदार से अनिम्न पंक्ति का राजस्व विभाग का ऐसा अन्य अधिकारी है जो इस अधिनियम के अधीन तहसीलदार की शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों का पालन करने के लिए सशक्त है ;

(ढ़) "लेनदार का अन्तरिती" से वह व्यक्ति [जिसके अन्तर्गत धारा 13 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट संस्था है] अभिप्रेत है जिसको —

(i) लेनदार ने वह जंगम संपत्ति गिरवी रख दी है जो उसे ऋणी द्वारा किसे गिरवी रखी गई थी और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई पश्चातवर्ती अन्तरिती है जिसको ऐसे अन्तरिती ने ऐसी जगम सपत्ति गिरवी रख दी है इसके अन्तर्गत गिरवी रही गई संपत्ति का कोई कब्जाधारी व्यक्ति भी है ;

(ii) लेनदार ने ऋणी द्वारा बंधिक्ति संपत्ति में अपना हित अन्तरित कर दिया है या अन्यथा समनुदेशित कर दिया है और इसके अन्तर्गत ऐसा कोई पश्चात्-वर्ती अन्तरिती है जिस को ऐसे अन्तरिती ने बन्धिक्ति संपत्ति में अपना हित अन्तरित कर है या अन्यथा समनुदेशित कर दिया है और इसके अन्तर्गत बन्धक्ति सम्पत्ति का कोई कब्जाधारी व्यक्ति भी है ;

(ण) "भूमि की इकाई" से निम्नलिखित अभिप्रेत है —

(i) दो हैक्टर असिंचित भूमि ; या

(ii) आधा हैक्टर ऐसी भूमि जिसमें एक सिंचित फसल उगाने की सुविधाएं हैं ; या

(iii) आधा हैक्टर ऐसी भूमि जिसे बागान फसल या अंगूर या किसी नारियल या सुपारी या शहतूत उगाने के लिए उपयोग में लाया जाता है ; या

(iv) चौथाई हैक्टर ऐसी भूमि जिसमें बारहमासी सिंचाई की सुविधाएं हैं या वर्ष में एक सिंचित फसल से अधिक फसल उगाने की सुविधाएं हैं।

4. **ऋणिता से मुक्तीय**—पांडिचेरी पान ब्रोकर्स ऐक्ट, 1966 (1966 का पांडिचेरी अधिनियम संख्या 11), दि पांडिचेरी मनी लैण्डर्स एक्ट, 1970 (1970 का पांडिचेरी अधिनियम संख्या 26), दि यूनियन टेरीटरीज रिलीफ आफ एग्रीकल्चरल इनडेटेड रेग्यूलेशन, 1976 (1976 का 1) द्वारा पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर यथाविस्तारित मद्रास पान ब्रोकर्स ऐक्ट, 1943 (1943 का मद्रास अधिनियम संख्या 23) में या तत्समयप्रवृत किसी अन्य विधि में या ऐसी किसी विधि के आधार पर बल रखने वाली किसी संविदा या लिखित में किसी बात के होते हुए भी और इस अधिनियम में अन्य था अभिव्यक्त उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के प्रारम्भ की ओर से—

(क) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व उधार दिया गया या उपगत और ऋणी द्वारा लेनदार को देय प्रत्येक ऋण (जिसके अन्तर्गत ब्याज, यदि कोई भी हो, है) के बारे में यह समझा जाएगा कि वह पूर्वा रूप से चुका दिया गया है ;

(ख) कोई भी सिविल न्यायालय ऐसे ऋण (जिसके अन्तर्गत ब्याज, यदि कोई हो, है) की किसी रकम की वसूली के लिए ऋणी के विरुद्ध किसी वाद या अन्य कार्यवाही को ग्रहण नहीं करेगा ; परन्तु जहां कोई वाद या अन्य कार्यवाही ऋणी और किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध संयुक्त रूप से संस्थित की जाती है वहां इस धारा की कोई भी बात उस वाद या कार्यवाही के चलाए जाने को वहां तक लागू नहीं होगी जहां तक वह ऐसे व्यक्ति के सम्बन्ध में है ;

(ग) ऐसी किसी ऋण (जिसके अन्तर्गत ब्याज, यदि कोई हो, है) की वसूली के लिए किसी ऋणी के विरुद्ध इस अधिनियम के प्रारम्भ पर लंबित सभी वादों और अन्य कार्यवाहियों का (जिनके अन्तर्गत अपील, पुनरीक्षाण, कुर्की या निष्पादन कार्यवाहियां हैं) उपशमन हो जाएगा ;

(i) परन्तु यह कि इस खण्ड की कोई भी बात ऐसे किसी ऋणी की बाबत (i) इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व हुए और समाप्त किसी जंगम संपत्ति के विक्रय को ;

(ii) ऐसे प्रारम्भ से पूर्व पुष्ट किसी स्थावर संपत्ति के विक्रय को लागू नहीं होगी ;

(घ) ऐसे किसी ऋण (जिसके अन्तर्गत ब्याज, यदि कोई हो, है) की बाबत किसी सिविल न्यायालय द्वारा ऋणी के विरुद्ध धन के लिए पारित किसी डिक्री के निष्पादन में सिविल कारागार में निरोध के अधीन प्रत्येक ऋणी को छोड़ दिया जाएगा ;

(ङ) ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई प्रत्येक जंगम संपत्ति ऐसे ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त हो जाएगी और लेनदार उसे ऋणी को तुरन्त लौटाने के लिए आबद्ध होगा ;

(च) लेनदार के पक्ष में ऋणी द्वारा निष्पादित प्रत्येक बन्धक का मोचन हो जाएगा और बन्धक संपत्ति ऐसे ऋणी के पक्ष में निर्मुक्त की जाएगी ।]

स्पष्टीकरण :—इस धारा की किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्रति संदत्त किसी ऋण के किसी भाग या उसके द्वारा पहले ही संदत्त या उससे वसूल किए गए ब्याज के प्रतिदाय के लिए किसी ऋणी को हकदार बनाती है ।

5. **लेनदारों द्वारा विवरण आदि का फाईल किया जाना** .—(1) धारा 4 के खण्ड (ढ) में विनिर्दिष्ट प्रत्येक लेनदार ऐसी अवधि के भीतर जैसी विहित की जाए ऐसे क्षेत्र की जहां ऐसे लेनदार का कारबार का अपना मामूली ठिकाना है, अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को एक विवरण ऐसे प्ररूप में देगा जैसा विहित किया जाए जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों के नाम जिन्होंने उसे जंगम सम्पत्ति गिरवी रखी है, ऐसी सम्पत्ति की प्रकृति और विवरण, इस अधिनियम के प्रारम्भ को उधार दी गई और शोध्य रकम, ब्याज की दर और ऐसी अन्य विशिष्टियां जैसी विहित दी जाए, होगी ।

(2) धारा 4 के खण्ड (ड़) में निर्दिष्ट ऋणी ऐसे क्षेत्र की जहां ऐसे लेनदार का कारबार का अपना मामूली ठिकाना है, अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को, ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई जंगम संपत्ति के लौटाए जाने के आदेश के लिए आवेदन कर सकेगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन विवरण या उपधारा (2) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर और विहित रीति में की गई ऐसी अवधि के पश्चात् तहसीलदार आदेश द्वारा, यह अवधारित कर सकेगा कि —

(i) जहां उपधारा (1) के अधीन लेनदार द्वारा विवरण दिया गया है, वहां कौन से ऐसे व्यक्ति जिन्होंने उसको जंगम सम्पत्ति गिरवी रखी है, धारा 4 के अधीन अनुतोष के हकदार हैं, और

(ii) जहां उपधारा (2) के अधीन ऋणी द्वारा आवेदन किया गया है, वहां क्या ऋणी धारा के अधीन अनुतोष का हकदार है,

और लेनदार को यह निदेश दे सकेगा कि वह ऐसे व्यक्तियों या श्रेणी द्वारा गिरवी रखी गई जंगम सम्पत्ति को आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व पेश करे ।

(4) जहां ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई जंगम सम्पत्ति लेनदार के किसी अन्तरिती के कब्जे में है वहां लेनदार ऐसे अन्तरिती से उक्त सम्पत्ति को मोचित करेगा और उपधारा (3) में निर्दिष्ट आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व इसे पेश करेगा ।

(5) यदि लेनदार जैसा कि उपधारा (3) के अधीन आदेश में निदेश किया गया है, जंगम सम्पत्ति पेश करने में असफल रहता है तो—

(क) तहसीलदार के या [धारा 13 के खण्ड (ङ) में विनिर्दिष्ट संस्था से भिन्न] लेनदार के अन्तरिती के किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा और उक्त सम्पत्ति की तलाश कर सकेगा और उसे अभिगृहीत कर सकेगा ; और

(ख) जहां जंगम सम्पत्ति धारा 13 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट संस्थाओं में से किसी के कब्जे में है वहां तहसीलदार —

(I) आदेश द्वारा, उक्त संस्था को यह निदेश देगा कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व ऐसे विवरण सहित तहसीलदार को जंगम सम्पत्ति जमा करे जिसमें उक्त सम्पत्ति की बाबत उक्त संस्था को शोध्य रकम विनिर्दिष्ट की गई हो और साथ ही साथ इस आशय का उक्त संस्था को एक प्रमाण पत्र जारी करेगा कि उक्त समाप्ति की बाबत उक्त संस्था को शोध्य रकम लेनदार को ऐसे वसूल की जाएगी मानो वह भूराजस्व की बकाया हो और उक्त संस्था को संदत्त की जाएगी ; और

(II) उक्त संस्था के तहसीलदार को उक्त सम्पत्ति जमा करने पर जंगम सम्पत्ति की प्राप्ति लिखित रूप में अभिस्वीकार करेगा और लेनदार से ऐसी रकम जैसी उक्त सम्पत्ति की बाबत उक्त संस्था को शोध्य है ऐसे वसूल करेगा मानो वह भूराजस्व की बकाया हो और ऐसी वसूली पर उसे उक्त संस्था को संदत्त करेगा।

(6) गिरवी रखी गई जंगम संपत्ति के इस प्रकार पेश किए जाने या उसकी वसूली या उसके जमा किए जाने के पश्चात् तहसीलदार उक्त संपत्ति ऋणी को परिदत्त करेगा।

(7) उपधारा (3) के अधीन प्रश्न का अवधारण लंबित रहने के दौरान कोई लेनदार या लेनदार का कोई प्रतिनिधि ऋणी द्वारा गिरवी रखी गई किसी जंगम संपत्ति का विक्रय नहीं करेगा या उसे गिरवी नहीं रखेगा या अन्यथा उसका व्ययन नहीं करेगा।

(8) उपधारा (5) में या पांडिचेरी पानब्रोकर्स ऐक्ट, 1966 में पांडिचेरी संघ राज्यक्षेत्र पर द्वारा यथाविस्तारित मद्रास पानब्रोकर्स ऐक्ट, 1943 (1943 का मद्रास एक्ट सं० 23) है में किसी बात के होते हुए भी तहसीलदार—

(क) लेनदार के या (धारा 13 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट संस्था से भिन्न) लेनदार के किसी प्रतिनिधि के किसी परिसर में प्रवेश कर सकेगा और ऋणियों द्वारा गिरवी रखी गई जंगम संपत्तियों की तलाशी कर सकेगा और उन्हें अभिगृहीत कर सकेगा और उनकी निरापद सुरक्षा की व्यवस्था कर सकेगा।

(ख) यह अवधारित करने के लिए कार्यवाही करेगा कि इस प्रकार अभिगृहीत जंगम संपत्तियों में से कौन सी ऋणियों को निर्मुक्त की जानी है और तदनुसार आदेश पारित करेगा।

(9) तलाशी और अभिगृहीत से संबंधित दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 100 और 165 के उपबन्ध, यावतशक्य, उपधारा (5) और (8) के अधीन तलाशी और अभिग्रहण को लागू होंगे।

6. कतिपय मामलों में ऋणियों द्वारा आवेदन किया जाना.—(1) धारा 4 के खण्ड (घ) में निर्दिष्ट ऋणी बन्धक संपत्ति को निर्मुक्त करने वाले आदेश के लिए और मोचन का प्रमाणपत्र देने के लिए उस क्षेत्र की, जिसके भीतर ऐसा ऋणी मामूली तौर पर निवास करता है, अधिकारिता रखने वाले तहसीलदार को आवेदन कर सकेगा।

(2) (क) ऐसे आवेदन की प्राप्ति पर विहित रीति में की गई जांच के पश्चात् तहसीलदार बन्धक संपत्ति को निर्मुक्त करने वाला आदेश करेगा और विहित, प्ररूप में मोचन का प्रमाणपत्र देगा जो किसी न्यायालय या अन्य प्राधिकारी के समक्ष किसी कार्यवाही में ऐसे मोचन के साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा ।

(ख) तहसीलदार लेनदार या लेनदार के अंतरिती को वह भी निदेश देगा—

(i) कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व बन्धक संपत्ति का कब्जा ऋणी को परिदत्त करे, यदि ऋणी के कब्जे में बन्धक पहले से ही नहीं है, और

(ii) कि वह आदेश में विनिर्दिष्ट तारीख को या उससे पूर्व बन्धक विलेख या अन्य दस्तावेज पेश करे और तहसीलदार बन्धक विलेख या अन्य दस्तावेज, परमोचन का पृष्ठांकन करेगा ।

(3) उपधारा (2) के अधीन आदेशों के लंबित रहने के दौरान, कोई भी लेनदार या लेनदार का कोई अंतरिती ऋणी द्वारा बन्धकित संपत्ति में अपने हित को अन्तरित या अन्यथा समनुदेशित नहीं करेगा या उसकी बाबत पुरोबन्ध के अपने अधिकार का प्रयोग नहीं करेगा ।

(4) जहां बन्धक संपत्ति लेनदार द्वारा धारा 13 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट संस्थाओं में से किसी को अन्तरित कर दी गई है या उसमें का कोई अधिकार समनुदेशित कर दिया गया है तो तहसीलदार लेनदार से ऐसी रकम जो उक्त संपत्ति की बाबत ऐसी संस्था को शोध्य है, ऐसे वसूल करेगा मानों वह भूराजस्व की बकाया हो और उसे उक्त संस्था को संदत्त करेगा ।

(7) **इस अधिनियम के अधीन पारित आदेशों का अन्तिम होना** :—धारा 5 या धारा 6 के अधीन तहसीलदार का प्रत्येक आदेश धारा 8 के अधीन अपील के अधीन रहते हुए, अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में उस पर आपत्ति नहीं की जाएगी ।

8. **अपील** .—(1) इस अधिनियम के अधीन तहसीलदार द्वारा किए गए आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में जैसी विहित की जाए, ऐसे प्राधिकारी को अपील कर सकेगा जैसा इस निमित्त प्रशासक द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए ।

(2) उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट प्राधिकारी अपील का विनिश्चय करने में ऐसी प्रक्रिया का पालन करेगा जसी विहित की जाए और ऐसी अपील में ऐसे प्राधिकारी का विनिश्चय अंतिम होगा और किसी भी न्यायालय में आपत्ति नहीं की जाएगी ।

9. **विधि व्यवसायियों का उपसंजात न होना**.—इस अधिनियम के अधीन किसी कार्यवाही में का कोई पक्षकार किसी विधि व्यवसायी द्वारा प्रतिनिधित्व किए जाने का हकदार नहीं होगा ।

स्पष्टीकरण:—इस धारा में "विधि व्यवसायी" का वह अर्थ जो अधिवक्ता अधिनियम 1961 (1961 का 25) की धारा 2 में उसका है ।

10. **शास्ति**.—(1) ऐसा कोई व्यक्ति जो धारा 5 के अधीन विवरण देने में या धारा 5 या धारा 6 के अधीन किए गए किसी आदेश या किए गए किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है अथवा अन्यथा उक्त दोनों धाराओं में से किसी के उपबंधों का उल्लंघन करता है तो वह ऐसी अवधि के लिए जो तीन मास से कम की न होगी किन्तु जो एक वर्ष तक की हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपए से कम का न होगा किन्तु जो पांच हजार रुपए तक का हो सकेगा, कारावास के लिए दायी होगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन दंडनीय प्रत्येक अपराध संज्ञेय होगा ।

(3) उपधारा (1) के अधीन दण्डनीय प्रत्येक अपराध का संक्षिप्त : विचारण किया जाएगा और दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का 2) की धारा 262 से 265 (दोनों सहित) के उपबन्ध, यावतशक्य ऐसे विचारण को लागू होंगे ।

11. **कम्पनियों द्वारा अपराध**.—(1) जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध कंपनी द्वारा किया गया है वहां प्रत्येक व्यक्ति जो उस अपराध के किए जाने के समय उस कंपनी के कारबार के संचालन के लिए उस कंपनी का भारसाधक और उसके प्रति उत्तरदायी था और साथ ही वह कंपनी भी ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने के भागी होंगे ।

परन्तु इस उपधारा की कोई बात किसी ऐसे व्यक्ति को दण्ड का भागी नहीं बनाएगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के लिए जाने का निवारण करने के लिए सब सम्यक तत्परता बरती थी ।

(2) उपधारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कंपनी द्वारा किया गया है तथा यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक प्रबन्धक सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उस अपराध का किया जाना उसकी किसी उपेक्षा के कारण माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जाएगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किए जाने और दंडित किए जाने का भागी होगा ।

स्पष्टीकरण.— इस धारा के प्रयोजनों के लिए :—

(क) "कंपनी" से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम भी है ;

(ख) "फर्म के संबंध में, "निदेशक" से उस फर्म का भागीदार अभिप्रेत है ।

12. **सबूत का भार**.—किसी वाद या कार्यवाही में यह साबित करने का भार की ऋणी इस अधिनियम के संरक्षण का हकदार नहीं है तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होते हुए भी लेनदार पर होगा ।

13. **कतिपय ऋणों और दायित्वों का प्रभावित न होना**.— इस अधिनियम की कोई बात भूमिहीन कृषि श्रमिकों, ग्रामीण शिल्पियों और लघु कृषकों के ऋणों और दायित्वों को निम्नलिखित श्रेणियों को प्रभावित न नहीं करेगी, अर्थात:—

(क) किसी संपत्ति जिसके अन्तर्गत ऋणी को किराये पर दी गई कृषि भूमि है, की बाबत देय कोई भाटक ;

(ख) भूराजस्व की वकाया के रूप में वसूलीय कोई रकम ;

(ग) न्यायसंभग या किसी अपकृत्य दायित्व से पैदा होने वाला कोई दायित्व ;

(घ) वेतन के रूप में शोध्य मजदूरी या पारिश्रमिक की बाबत या अन्यथा की गई सेवाओं के लिए कोई दायित्व ;

(ङ) न्यायालय की डिग्री के अधीन या अन्यथा भरण-पोषण के संबंध में कोई दायित्व;

(च) निम्नलिखित को शोध्य ऋण :—

(i) केन्द्रीय सरकार या कोई राज्य सरकार;

(ii) कोई स्थानीय प्राधिकारी

(छ) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय निम्नलिखित को शोध्य किसी राशि की बाबत कोई दायित्व :—

(i) (क) कोई बैंककारी कंपनी जिसको बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 (1949 का 10) लागू होता है ;

(ख) भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक ;

(ग) भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959 के (1959 का 38) की धारा 2 के खण्ड (ट) में यथापरिभाषित कोई समनुषंगी बैंक ;

(घ) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अन्तरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5) की धारा 2 के खण्ड (घ) में यथापरिभाषित कोई तत्समानी नया बैंक ;

(ङ) कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम अधिनियम, 1963 (1963 का 10) के अधीन स्थापित कृषि पुनर्वित्त और विकास निगम;

(च) पांडिचेरी के राजपत्र में प्रशासक द्वारा इस निमित्त अधिसूचित कोई अन्य वित्तीय संस्था ;

(ii) कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अर्थ के भीतर कोई सरकारी कम्पनी ;

(iii) केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या उसके द्वारा नियंत्रित कोई निगम ;

(iv) भारतीय जीवन बीमा निगम

(v) पांडिचेरी कोआपरेटिव सोसाइटीज ऐक्ट, 1972 (1973 का पांडिचेरी अधिनियम सं० 7) के अधीन रजिस्ट्रीकृत या रजिस्ट्रीकृत समझी जाने वाली कोई सहकारी समिति जिसके अन्तर्गत भूमि विकास बैंक हैं ; और

(ज) कोई ऐसा ऋण जो ऋणी द्वारा रुप की गई जंगम या स्थावर संपत्ति के मूल्य को या अवरुप करार के अधीन शोध्य किसी रकम को रूपित करता है।

14. **नियम बनाने की शक्ति.**— (1) प्रशासक, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगा।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाए गए सभी नियम पांडिचेरी के राजपत्र में प्रकाशित किए जाएंगे और जब तक वे किसी विशेष दिन प्रवृत होने के लिए अभिव्यक्त हों, उस दिन प्रवृत्त होंगे जिस दिन वे इस प्रकार प्रकाशित किए जाएं।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र पांडिचेरी की विधान सभा के पटल पर रखा जाएगा और यदि उस सत्र के, जिसमें वह ऐसे रखा गया हो या ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व विधान सभा ऐसे नियम में कोई परिवर्तन करती है और निदेश देती है कि नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो तत्पश्चात्, यथास्थिति, वह नियम ऐसे परिवर्तन रूप में ही प्रभावी होगी या वह निष्प्रभाव हो जाएगा किन्तु नियम के ऐसे परिवर्तन या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधि मान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

15. **अन्य विधियों का प्रभाव.**—इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अतिरिक्त होंगे, उसके अल्पीकरण में नहीं।

[सं० भू०-11015/10/76-यू टी एल (135)]

महेश प्रसाद, संयुक्त सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976

IndiaCode